राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2151/2013/पाली.

मैसर्स कमल फिलिंग स्टेशन, मारवाड़ जंक्शन, पाली. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, पाली. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय , सदस्य

उपस्थित : :

श्री कृष्ण गोपाल खत्री, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,

उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.06.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, पाली (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र प्राप्ति संख्या 09 दिनांक 04.07.2013 को अपास्त किये जाने सम्बन्धी पारित किये गये आदेश दिनांक 16.09.2013 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–पाली (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2008–09 का नियमित कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये सम्मनों की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वेट अधिनियम की धारा 24(3) के तहत सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.11.2010 पारित करते हुए कर, शास्ति व ब्याज के रूप में रूपये 82,330/– की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6.7.2011 से इस आधार पर निरस्त किया गया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र विहित अवधि में

प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा उक्त अपील का निस्तारण निर्णय 06.05.2013 को करते हुए निम्न निर्देशों के साथ अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई :–

"परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.7.2011 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थी से देरी माफी आवेदन के साथ धारा 34 का आवेदन प्राप्त कर अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे। इसके साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे वेट अधिनियम की धारा 34 का आवेदन देरी माफी आवेदन के साथ सम्बन्धित समस्त साक्ष्य/दस्तावेज सहित निर्णय तिथि से दो माह की अवधि में उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत करें।"

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 06.05.2013 में निर्देश दिये गये है कि "प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थी से देरी माफी आवेदन के साथ धारा 34 का आवेदन प्राप्त कर अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे" परन्तु फिर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 16.09.2013 पारित किया गया है, जिससे कर बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं हुई है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने मात्र तकनीकी त्रुटि के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित प्रदान नहीं किया है। उन्होंने निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.09.2013 को अपास्त कर प्रकरण रि–ओपन करने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाये।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलीय अधिकारी ने राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 06.05.2013 की पूर्ण पालना नहीं की गई है। अतः न्याय हित में अपीलीय अधिकारी को

निर्देश दिये जाते हैं कि वह राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 06.05.2013 की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात इस निर्णय की प्राप्ति के 60 के दिन भीतर पुनः न्याय संगत निर्णय पारित करें। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य